

परिशिष्ट अ

अर्जाचा नमुना

| | | | | | |
|----|--|------------|--|------------|---|
| १ | विद्यापीठाचे नाव व पूर्ण पत्ता (दूरध्वनीसह) | | | | |
| २ | घटक महाविद्यालयाचे नाव आणि पूर्ण पत्ता | | | | |
| ३ | ज्या घटक महाविद्यालयात अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करावयाची आहे त्या ठिकाणाची लोकसंख्या: | | | | |
| ४ | घटक महाविद्यालयात अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करावयाचे सत्र: | | | | |
| ५ | अस्तीत्वात असलेल्या घटक महाविद्यालयात अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी अस्तित्वात असल्यास त्याचा तपशिल (मुळ तुकडी अनुदानावर असेल तर तसा स्पष्ट उल्लेख करावा.) : तुकड्यांचा प्रकार नमूद करण्यात यावा. (अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विनाअनुदानित / स्वयं अर्थसहाय्यीत) | विद्याशाखा | | विषय | विद्यार्थी संख्या |
| | | अभ्यासक्रम | | | |
| | | विषय | | | |
| | | तुकड्या | | | |
| ६ | आवेदन शुल्क रु. /- दिनांक- बँकेचे नाव:-(धनाकर्ष कुलसचिव, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा यांचे नावे असावा) | | | | |
| ७ | घटक महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करावयाच्या विद्याशाखेचा तपशिल | अ.क्र. | शाखा | अभ्यासक्रम | अध्यापनाचे माध्यम |
| | | | | | अध्यापनाचे विषय |
| ८ | संस्थेच्या पंजीयनाचा क्रमांक दिनांक | | | | |
| ९ | संस्थेच्या संविधानात शैक्षणिक बाबीसंबंधी तरतूद असल्यास त्या तरतूदीच्या कलम क्र. व तदनुसार नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यासंबंधीचा संस्थेचा ठराव क्र. व दिनांक | | | | |
| १० | घटक महाविद्यालय सुरु करणार असलेल्या प्रस्तावित नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी महाविद्यालयाच्या १५ कि.मी. परिसरातील इतर महाविद्यालयात शिकविले जात असल्यास मागील ३ वर्षांचा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीच्या वस्तुस्थितीचा महाविद्यालयाच्या नावासह तपशील:- | | | | |
| ११ | आपण सुरु करणार असलेल्या नवीन अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकड्यामुळे व उल्लेखित परिसरातील इतर घटक महाविद्यालयांशी अवास्तव स्पर्धा निर्माण होईल काय? (होय/नाही) | | | | |
| १२ | निरनिराळ्या अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षात प्रवेशच्छुक विद्यार्थ्यांची अंदाजीत संख्या | कला | वाणिज्य | विज्ञान | विधी |
| | | | | | इतर (व्याव, अभ्या.) |
| १३ | १५ कि. मी. परिसरातील अस्तित्वात असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांची मागील तीन वर्षांची पुढील संदर्भात माहिती | अ.क्र. | शाळेचे / कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता | वर्ष | उच्च माध्यमिक परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या |
| | | | | | उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या |
| | | | | | उत्तीर्ण विद्यार्थी टक्केवारी |
| १४ | कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखेच्या नवीन अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी ज्या घटक महाविद्यालयात सुरु करावयाची आहे, ते ठिकाण १२ वी च्या परिक्षेचे केंद्र आहे काय? | | | | |
| १५ | केंद्र असल्यास तेथून १२ वी च्या मार्च व आक्टोबरच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची कला, वाणिज्य, विज्ञान, शाखा निहाय संख्या | | | | |

| | |
|----|---|
| १६ | अ) विद्यापीठाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या महाविद्यालये यांचा तपशिल- ब) सदर महाविद्यालयांची मान्य प्रवेश क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवेशित व परिक्षेस बसलेले विद्यार्थी- |
| १७ | अ) महाविद्यालयासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या खोल्यांची संख्या- ब) सदर इमारत खोल्यांमध्ये सध्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा इतर अभ्यासक्रमाचे वर्ग भरतात काय? |
| १८ | अर्ज केलेल्या वर्षातील ३१ मार्चला असलेल्या संस्थेच्या आर्थिक स्थिती अ) स्थावर मालमत्ता ----- रु. ब) जंगम मालमत्ता ----- रु. क) बँकेतील रोख ----- रु. ड) बँकचे वा इतर कर्ज ----- रु. |
| १९ | वरिल उल्लेखित बाबींशिवाय महाविद्यालयाच्या आकस्मिक व अनाकस्मिक खर्चासाठी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतूदीचा तपशिल:- |

विभाग प्रमुख

(संबंधित विभाग)

प्राचार्य,

(घटक महाविद्यालय)

अधिष्ठाता

(संबंधित विद्याशाखा)

उपकुलसचिव

कुलसचिव

कुलगुरु

शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२०८/१७)/मशि-४, दि. १३ सप्टेंबर, २०१७

परिशिष्ट "ब"

| | | |
|---|---|--|
| विद्यापीठाचे नाव | : | कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा |
| घटक महाविद्यालयाचे नाव | : | |
| स्थापना वर्ष | : | |
| नेक मुल्यांकन / पुनर्मुल्यांकनाचे वर्ष श्रेणीसह | : | |

| प्रस्ताव प्रकार | पाठ्यक्रम |
|-----------------|-----------|
| | |

| अ.क्र. | शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२०८/१७)/मशि-४, दि.१३ सप्टेंबर, २०१७ | पूर्ततेचा तपशिल (होय/ नाही) | पृष्ठ क्र. |
|--------|---|-----------------------------|------------|
| १. | घटक महाविद्यालयाचा विहित नमुन्यात अर्ज. | | |
| २. | महाविद्यालयाचे 2F-12 B प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत. | | |
| ३. | चालू वर्षाच्या तपशिलवार अंदाजपत्रकाची प्रत. | | |
| ४. | घटक महाविद्यालयांचे मागील वर्षाच्या लेखापरिक्षण अहवालाची प्रत. | | |
| ५. | Constituent College Development Fund मध्ये रक्कम जमा केलेची पावती. नविन अभ्यास पाठ्यक्रम - रु. ५.०० लाख विषय - रु. २.०० लाख विद्याशाखा - रु. ५.०० लाख अतिरिक्त तुकडी - रु. ३.०० लाख | | |
| ६. | संबंधित महाविद्यालयांचे आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीयकृत/ शेड्युल बँकामार्फत केले जात असल्याचे कागदपत्र. | | |
| ७. | शासनाचे कायम विना अनुदानित धोरण लक्षात घेता, अर्जासोबत महाविद्यालयाचा नियमानुसार वेतन व वेतनेतर खर्च संस्था करणार असल्याबाबतचे रु. १००/- स्टॅम्प पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र. | | |
| ८. | १) स्वतःची जागा- अ) "अ", "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये १/२ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत. ब) "अ", "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रापासून ५ कि. मी. परिसरात किमान १ एकर अकृषक जागा. क) "ड" वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात किमान १ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या सरकारी कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत. ड) "ड" वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रापासून ५ कि. मी. परिसरात किमान २ एकर अकृषक जागा. इ) उर्वरित सर्व क्षेत्रांसाठी किमान ३ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या सरकारी कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत. | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>२) भाड्याची जागा-</p> <p>अ) "अ", "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये १/२ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत.</p> <p>ब) "ड" वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात किमान १ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर घेतलेल्या "नोंदणीकृत कराराची" प्रत.</p> <p>क) उर्वरित सर्व क्षेत्रांसाठी किमान ३ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर घेतलेल्या "नोंदणीकृत कराराची" प्रत.</p> | | |
| | <p>अ) इमारत (स्वतःची) - संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरणाचे प्रमाणित उतारे, (सोबतच्या प्रपत्र - अ मध्ये सर्वसाधारण वर्गखोली व इतर क्षेत्रफळाचा तपशील जोडला आहे, तो खालील रकान्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद करावा. तसेच, वर्ग खोल्यांची संख्याही नमूद करावी.)</p> | | |
| | <p>१) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत :</p> | | |
| | १.१ प्राचार्य कक्ष | | |
| | १.२ कार्यालय | | |
| | १.३ इलेक्ट्रॉनिक्स / संगणक प्रयोगशाळा | | |
| | १.४ रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा | | |
| | १.५ पदार्थविज्ञान प्रयोगशाळा | | |
| | १.६ जिवशास्त्र प्रयोगशाळा | | |
| | १.७ ग्रंथालय | | |
| | १.८ लेडीज रुम | | |
| | १.९ रेकॉर्ड रुम | | |
| | १.१० नॅक रुम | | |
| | १.११ स्टाफ रुम | | |
| | १.१२ सभागृह | | |
| | १.१३ मोठे व्याख्यान कक्ष | | |
| | १.१४ स्वच्छतागृह (२० विद्यार्थ्यांमागे ०१ स्वच्छतागृह) महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व प्रसाधने | | |
| | १.१५ व्हरांडा | | |
| | १.१६ एन. सी. सी. रुम | | |
| | १.१७ एन. एस. एस. रुम | | |
| | १.१८ वाहनतळ (दुचाकी वाहनांसाठी) | | |
| | २) २.१ पाणी सुविधा (पाणी पट्टी पावती) | | |
| | २.२ वीज सुविधा (वीज देयकाची प्रत) | | |
| | २.३ ड्रेनेज सुविधा (स्थानिक प्राधिकरणाचे नकाशासह प्रमाणपत्र) | | |
| | ३) होस्टेल सुविधा / परिसरात २० टक्के विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असल्याचे प्रमाणपत्र | | |
| | <p>अ) इमारत (भाड्याची) - (नोंदणीकृत भाडेकरार) संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरणाचे प्रमाणित उतारे. (सोबतच्या प्रपत्र - अ मध्ये सर्वसाधारण वर्गखोली व इतर क्षेत्रफळाचा तपशील जोडला आहे, तो खालील रकान्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद करावा.) तसेच, वर्ग खोल्यांची संख्याही नमूद करावी.</p> | | |
| | १) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत : | | |
| | १.१ प्राचार्य कक्ष | | |
| | १.२ कार्यालय | | |
| | १.३ इलेक्ट्रॉनिक्स / संगणक प्रयोगशाळा | | |
| | १.४ रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | १.५ पदार्थविज्ञान प्रयोगशाळा | | |
| | १.६ जिवशास्त्र प्रयोगशाळा | | |
| | १.७ ग्रंथालय | | |
| | १.८ लेडीज रुम | | |
| | १.९ रेकॉर्ड रुम | | |
| | १.१० नॅक रुम | | |
| | १.११ स्टाफ रुम | | |
| | १.१२ सभागृह | | |
| | १.१३ मोठे व्याख्यान कक्ष | | |
| | १.१४ स्वच्छतागृह (२० विद्यार्थ्यांमागे ०१ स्वच्छतागृह) महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व प्रसाधने | | |
| | १.१५ व्हरांडा | | |
| | १.१६ एन. सी. सी. रुम | | |
| | १.१७ एन. एस. एस. रुम | | |
| | १.१८ वाहनतळ (दुचाकी वाहनांसाठी) | | |
| | २) २.१ पाणी सुविधा (पाणी पट्टी पावती) | | |
| | २.२ वीज सुविधा (वीज देयकाची प्रत) | | |
| | २.३ ड्रेनेज सुविधा (स्थानिक प्राधिकरणाचे नकाशासह प्रमाणपत्र) | | |
| | ३) होस्टेल सुविधा / परिसरात २० टक्के विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असल्याचे प्रमाणपत्र | | |
| १०. | १२ (अ) व (ब) मधील (१) व (२) साठी फर्निचर किंवा त्यासाठी किमान रु. ५.०० लक्ष शिल्लक असल्याबाबतच पुरावा. | | |
| ११. | जो पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा तुकडी सुरु करावयाचा आहे ग्रंथालयात पुस्तकाची सुविधा (किमान १०० पुस्तके प्रत्यक्षात हवीत) | | |
| १२. | प्रथमतः महाविद्यालय भाड्याच्या इमारतीत सुरु केले असेल तर प्रथम संलग्नकरण मिळाल्यापासून ५ वर्षांमध्ये महाविद्यालय ज्या ठिकाणासाठी मंजूर झाले आहे, त्या ठिकाणी स्वतःचे इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करत असल्याबाबतचे हमीपत्र. | | |
| १३. | महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील कलम १०९(६) मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे ज्या संस्थेची यापूर्वीचे महाविद्यालय अस्तित्वात आहे अशा संस्थेने नवीन महाविद्यालयाची मागणी केल्यास पुर्वीच्या महाविद्यालयाचे नॅक/एनबीए मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन असणे आवश्यक आहे. | | |
| १४. | मागणी केलेला विषय/विद्याशाखा/अभ्यासक्रम इ. घटक महाविद्यालयात शिकवला जात असेल तर संबंधीत सर्व महाविद्यालयाची 'ना हरकत प्रमाणपत्रे' | | |

प्र. कुलसचिव
कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ,
सातारा.